(वाद संख्या–5925/18)

05.09.2019

प्रस्तुत मामला दिनांक–12.06.2018 को ग्राम–मुढ़ेरी (छोटी), पो0–रतैठा, थाना–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर में आंधी और वर्षा होने के कारण पेड़ की डाली गिरने से बिजली का LT तार टुटकर नीचे गिर जाने के कारण, शौच जाने के क्रम में उपरोक्त गांव के निवासी हीरालाल तांती की सात वर्षीया पुत्री, रोशनी कुमारी, की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु से संबंधित है।

उक्त घटना से संबंधित परिवाद–पत्र की सुनवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयेाग, नई दिल्ली के सेंटर फॉर ह्यूमनराईट्स द्वारा भेजे गये आवेदन के आलोक में की गयी। उक्त के संबंध में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना के उप महाप्रबंधक (कार्मिक) ने अपने पत्रांक–224, दिनांक–26.07.2019 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है। अपने प्रतिवेदन के साथ उन्होंने विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मुंगेर का पत्रांक–468, दिनांक–04.04.2019, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, खड़गपुर का पत्रांक–152, दिनांक–03.04.2019 को अनुलग्नित कर भेजा है। सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, खड़गपुर का पत्रांक–152, दिनांक–03.04.2019 के साथ अनुलग्नित, सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, खड़गपुर/ कनीय विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, शामपुर/ कनीय विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, खड़गपुर/ कनीय विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, टेटिया बम्बर व अन्य तीन सदस्यों के सात सदस्यीय कमिटि के जांच–प्रतिवेदन को भी अनुलग्नित किया गया है। दिनांक–01.04.2019 को **उक्त सात सदस्यीय जांच कमिटि ने स्थल जांच के उपरान्त यह पाया है कि प्रसंगाधीन प्रकरण की मृतिका, रोशनी कुमारी, की मृत्यु दिनांक–12.06.2018 को विद्युत स्पर्शाघात से हुई थी**, लेकिन केवल इस आधार पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना द्वारा उसके मुयावजे के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया कि उक्त घटना को लेकर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है और न ही मृतिका का

पोस्टमार्टम ही हुआ है। जांच समिति द्वारा मृतिका के नाम व उसके मृत्यु की तिथि में परस्पर विरोधाभास होने का भी उल्लेख अपने जांच–प्रतिवेदन में किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मृतिका का परिवार एक पढ़ा–लिखा परिवार नहीं है। केवल इस विरोधाभास के आधार पर उसके मुयावजे के दावे को अस्वीकृत किया जाना उसके मानव अधिकार का उल्लंघन प्रतीत होता है साथ ही उस स्थिति में जबकि विद्युत कम्पनी द्वारा उसकी मृत्यु को विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु माना गया है।

अब, जबकि विद्युत विभाग के द्वारा गठित सात सदस्यीय जांच–टीम द्वारा इस तथ्य को सत्य पाया गया है कि स्व0 रोशनी कुमार, पिता–हीरालाल तांती, माता–इन्दु देवी ग्राम–मुढ़ेरी (छोटी), पो0–रतैठा, थाना–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर की मृत्यु विद्युत स्पर्शाघात से हुई है तो ऐसी परिस्थिति में उसके मुयावजे को इस आधार पर अस्वीकृत किया जाना कि इस घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है और न ही मृतिका के शव का अंत्यपरीक्षण ही किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः मामले से संबंधित तथ्यों परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, आयोग, विद्युत स्पर्शाघात से स्व0 रोशनी कुमार की मृत्यु होने पर, क्षतिपूर्ति के रूप में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को, उचित पहचान पर, दिनांक–31.10.2018 तक, मृतिका के पिता–हीरालाल तांती ग्राम–मुढ़ेरी (छोटी), पो0–रतैठा, थाना–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर को रुपये, 4,00000/– (चार लाख रुपये) का भुगतान करने की अनुशंसा करती है। प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, (SBPDCL) पटना को यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त क्षतिपूर्ति की राशि का श्री हीरालाल तांती, ग्राम–मुढ़ेरी (छोटी), पो0–रतैठा, थाना–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर को ससमय भुगतान करने के उपरान्त आयोग को दिनांक–10.11.2019 तक अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करे।

आज पारित आदेश की प्रति मृतिका के पिता–हीरालाल तांती ग्राम–मुढ़ेरी (छोटी), पो0–रतैठा, थाना–हवेली खड़गपुर,

जिला–मुंगेर व प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, (SBPDCL) पटना को को भेजते हुए उसकी प्रतिलिपि परिवादी को भी दी जाय।

दिनांक–15.11.2019 को संचिका उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक